अध्याय - 11

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता

11.1 देश की स्वतंत्रता के बाद केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी के विकास एवं उसके प्रचार - प्रसार के उद्देश्य से कई योजनाएँ तैयार कीं । इसी क्रम में हिन्दी शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया । हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने से हिन्दी शिक्षण के कार्य में तेजी आई । जब संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई तो शिक्षण पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था । ऐसे में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का कार्य सरकार का कर्तव्य बन गया ।

11.2 संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों में शिक्षण में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं ।

11.3 फरवरी 1989 में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में शिक्षण संस्थानों में हिन्दी पढाने की सुविधा, इंजीनिरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण, हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठयक्रम, दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा हिन्दी पाठों का प्रसारण आदि सिफारिशें की गई थींद्ग । समिति द्वारा की गई इन सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं ।

11.4 इसी प्रकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के पाँचवे खण्ड में हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जिसमें कहा गया है कि हिन्दी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था देश में सभी विश्वविद्यालयों में तथा विधि के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थानों को करनी चाहिए । इस पर शिक्षा विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा गया था ।

11.5 समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में की गई सिफारिश के अनुरूप राजभाषा विभाग ने मई 1992 में आवश्यक निदेश जारी किए थे जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्प अवधि हो या दीर्घावधिक हो, हिन्दी माध्यम से संपन्न होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त अधिकारियों कर्मचारियों को मूल कार्य हिन्दी में करने में असुविधा न हो ।

11.6 समिति ने अपने प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में भी यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंक और अन्य संस्थाओं के विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यन्त तकनीकी विषयों को छोडकर सभी प्रशिक्षण पाठयक्रम हिन्दी माध्यम से पढाए जाने की व्यवस्था की जाए । समिति की इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रमुखत: हिन्दी भाषा के माध्यम से गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाए जाएं ।

11.7 इन प्रयासों के बावजूद समिति ने अपने निरीक्षणों के दौरान महसूस किया कि जब तक अधिकारी/कर्मचारी सेवा में आने से पूर्व ही हिन्दी में अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वे सरकारी काम काज में हिन्दी का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर सकेंगे । अत: समिति का मानना है कि यदि प्रारंभिक शिक्षा में ही हिन्दी को अनिवार्य किया जाए तो यह सम्भव हो सकता है । यह सर्वविदित है कि बाल्यावस्था में किसी भी विषय को अधिक सुगमतापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है और यदि प्रारंभिक शिक्षा में दसवीं तक हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाए तो सभी विद्यार्थी सेवा में आने से पूर्व ही हिन्दी में पारंगत हो जाएंगे ।

11.8 आज केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए केन्द्रीय विद्यालयों में तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक ही हिन्दी को अनिवार्य बनाया गया है । केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण होता रहता है और देश के विभिन्न भागों में उनकी तैनाती की जाती है । इन लाखों कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए देश भर में स्थापित किए गए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से हिन्दी के शिक्षण के लिए एक स्पष्ट एवं कारगर नीति लागू की जानी चाहिए । इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहल करनी होगी । ऐसा करना अत्यावश्यक इसलिए भी है क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अच्छी शिक्षा देने के लिए भविष्य में देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे । यदि सभी केन्द्रीय विद्यालयों के साथ-साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) का पाठयक्रम पढा रहे देश के सभी स्कूलों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी स्कूलों में दसवीं तक अनिवार्य रूप से हिन्दी पढाई जाने के लिए सुस्पष्ट नीति लागू की जाती है तो निश्चित रूप से हम एक ऐसी पीढी तैयार कर सकेंगे जो भविष्य में भारत सरकार के कार्मिकों के रूप में अपना शत-प्रतिशत सरकारी कार्य हिन्दी में करने में पूर्णत: सक्षम होगी । आज केन्द्रीय विद्यालयों में नौंवी कक्षा से हिन्दी वैकल्पिक विषय के रूप में आ जाती है । देश के सभी स्कूलों में कमोबेश यही स्थिति है । अत: समिति का यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों तथा सीबीएसई का पाठयक्रम पढाने वाले स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जाए ।

11.9 संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षणों के दौरान यह पाया कि सीधी भर्ती वाले पदों के लिए अंग्रेजी ज्ञान तो अनिवार्य है किन्तु हिन्दी के ज्ञान का कोई स्तर निर्धारित नहीं किया गया है । जुलाई, 2010 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के राजभाषा संबंधी निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सीधी भर्ती के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारि/योंकर्मचारियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का ज्ञान तो अनिवार्य है किन्तु हिन्दी के ज्ञान की किसी भी स्तर तक कोई अनिवार्यता नहीं है । जब सीधी भर्ती के स्तर पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का स्तर निर्धारित नहीं है तो उनसे सेवा में आने के बाद हिन्दी में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । यह स्थिति केवल एक कार्यालय की नहीं है बल्कि ऐसा अनेक कार्यालयों में है ।

11.10 संसदीय राजभाषा समिति के विभिन्न निरीक्षणों की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि सीधी भर्ती के समय हिन्दी का ज्ञान किस स्तर का हो यह सरकार की ओर से निर्धारित नहीं किया गया है और

भिन्न-भिन्न विभागों ने इस संबंध में अलग-अलग मानदण्ड तय किए हैं । अधिकतर कार्यालयों में तो हिन्दी या अंग्रेजी का कोई स्तर ही निर्धारित नहीं है । कुछ विभागों ने दसवीं कक्षा के स्तर तक हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य किया गया है । कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ सीधी भर्ती के समय अंग्रजी के ज्ञान को तो अनिवार्य बना दिया गया है किन्तु हिन्दी के ज्ञान के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । अनेक कार्यालयों/विभागों में हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है किन्तु किस स्तर तक का ज्ञान आवश्यक है इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

11.11 इस प्रकार समीक्षात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी सेवा में आए अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राथमिक शिक्षा के दौरान प्राप्त हिन्दी ज्ञान का स्तर भिन्न होता है । इस संबंध में नीति निर्धारक प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट मानदंड निर्धारित न किए जाने के कारण यह तय नहीं हो पाता कि अधिकारियों/कर्मचारियों को किस स्तर पर हिन्दी प्रशिक्षण दिया जाए । यह पाया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी महाराष्ट्र से दसवीं तक हिन्दी पढा है उसके हिन्दी ज्ञान का स्तर निश्चित रूप से उस कर्मचारी से अधिक होता है जिसने आंध्र प्रदेश में दसवीं कक्षा तक हिन्दी पढी है । यही स्थिति विभिन्न विभागों/उपक्रमों में भी है । इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण निम्नलिखित सारिणीद्ग द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं-

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**सीधी भर्ती का स्तर**	**हिन्दी का शैक्षणिक स्तर**	**अंग्रेजी का शैक्षणिक स्तर**
1.	भारत पेट्रोलियम पोनमेनी, मदुरै	अनुसंधान एवं विकास पेशेवर समूह “क”, “ख”, “ड.” और “च”	सभी स्तरों पर बोलने-पढने तथा लिखने में हिन्दी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है।	नहीं
2.	न्यू इंडिया इंश्योरेंस मंडल कार्यालय, अम्बाला कैंट (02.06.2010 को निरीक्षण)	श्रेणी I श्रेणी II श्रेणी III	नहीं	एचएससी से उच्च माध्यमिक
3.	सतलुज जल विद्युत निगम		हाँ	नहीं
4.	ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 (27.10.2010 को निरीक्षण)	सहायक अधीनस्थ कर्मचारी	हाँ	हाँ

5.	नुमलीगढ रिफाइनरी लि0 (26.09.2008 को निरीक्षण)	चूंकि अधिकांश भर्ती असम में हुई हैं और असम "ग" क्षेत्र में आता है इसलिए भर्ती स्तर पर हिन्दी ज्ञान की अनुशंसा नहीं की गई थी।		
6.	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि0 (05.07.2005 को निरीक्षण)	अधिकारी, कनिष्ठ पर्यवेक्षक, आशुलिपिक, टंकक, चपरासी, ड्राइवर	मैट्रिक तक हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है ।	नहीं
7.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 (03.04.2010 को निरीक्षण)	आईआरसी में सभी श्रेणी के कर्मचारियों (कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक) की भर्ती के लिए एक ही सेवा नियम है जिसके द्वारा सभी कर्मचारियों की भर्ती होती है ।	जी, हाँ । पदों की आवश्यकतानुसार ।	हाँ
8.	गेल इंडिया लिमिटेड (09.01.2010 को निरीक्षण)	वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	हिन्दी का ज्ञान	नहीं
9.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (20-06-2010 को निरीक्षण))	सभी तीनों समूह	केवल राजभाषा सेवाओं के लिए	केवल समूह "क" और "ख" के लिए
10.	इंडियन एयरलाइन्स (09-06-2010 को निरीक्षण))	"क", "ख", "ग", "घ"	समूह "ग" में केबिन क्रू के पद पर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है	नहीं
11.	होटल कलिंग अशोक (20-01-2010 को निरीक्षण)	"क" - सहायक महाप्रबंधक "ख" - सहायक निदेशक डी.पी.ए. ग्रेड "क" "ग" - अ.श्रे.लि., कनिष्ठ आशुलिपिक, डी.ई.ओ. ग्रेड "ए" स्टाफ कार ड्राइवर "घ" - स्वीपर, चपरासी, चौकीदार	नहीं	हाँ

12.	सेन्ट्रल इंस्टिटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (30-03-2010 को निरीक्षण)	समूह "क" तथा "ग"	हाँ	हाँ
13.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि. नई दिल्ली (30-03-2010 को निरीक्षण)	बहु प्रयोजनीय सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ सहायक, चालक, चपरासी।	हाँ । भर्ती नियमों के अनुसार कुछ पदों के लिए ।	हाँ । कुछ पदों के लिए ।
14.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि. कोच्चि (28-11-2008 को निरीक्षण)	इ 1	हाँ	हाँ
15.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	अधिकारी वर्ग	हाँ	नहीं
16.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कोर्पोरेशन (13-02-2007 को निरीक्षण)	वरिष्ठ महाप्रबन्धक, उप प्रबंधक, सहायक, पर्यवेक्षक, उप महाप्रबंधक	हाँ । एस.एस.सी. तक ।	नहीं
17.	हैण्डीक्राफट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (09-04-2007 को निरीक्षण)	सभी स्तरों पर ।	हाँ	नहीं
18.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (06-02-2008 को निरीक्षण)	समूह "ग"	हाँ	नहीं
19.	नार्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स इंडिया लि. (26-06-2007 को निरीक्षण)	"ख" "ग" "घ"	नहीं नहीं नहीं	हाँ हाँ हाँ
20.	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	अधिकारी समूह I कर्मचारी समूह I समूह I समूह I	नहीं नहीं नहीं नहीं	हाँ नहीं हाँ नहीं
21.	ई.एम.एल.लि. (09-01-2010 को निरीक्षण)	अधिकारी कर्मचारी	नहीं	हाँ
22.	मुरगाँव पत्तन न्यास (05-01-2008 को निरीक्षण)	अधिकारी कर्मचारी	नहीं	हाँ
23.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	गैर - पर्यवेक्षक संवर्ग 1 से	नहीं	हाँ

	(02-02-2008 को निरीक्षण)	संवर्ग 15 पर्यवेक्षक ई 1 से ई 8	नहीं	हाँ

11.12 अत: यह संस्तुति की जाती है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती के समय हिन्दी के ज्ञान का एक न्यूनतम स्तर अवश्य निर्धारित किया जाए जिससे कार्य में एकरूपता आ सके एवं हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के अवसर बन सकें ।

11.13 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 06 से 08 सितम्बर 2010 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा इनके अधीनस्थ विभागों का मौखिक साक्ष्य आयोजित किया गया । दिनांक 08 सितम्बर 2010 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और उनके निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों का मौखिक साक्ष्य आयोजित किया गया:-

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
3. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
4. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
5. सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड

11.14 कर्मचारी चयन आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान सामने आने वाले तथ्यों में एक यह भी था कि आशुलिपिक वर्ग 'ग' की परीक्षा में आयोग द्वारा दो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। एक सामान्य ज्ञान का होता है तथा दूसरा अंग्रेजी का । समिति का इसके बारे में सुझाव था कि हिन्दी आशुलिपिक के लिए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को अनिवार्य न बनाया जाए । अपितु अनिवार्यता अंग्रेजी आशुलिपिक के लिए हिन्दी जानने की होनी चाहिए ।

11.15 इसके अतिरिक्त वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में जाने के लिए परीक्षा देने वाले हिन्दी आशुलिपिकों के लिए भी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अनिवार्य है । यद्यपि उसका वेटेज केवल 25 प्रतिशत होता है तो भी समिति का सुझाव था कि इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए । इसके विपरीत यदि अंग्रेजी का विकल्प चुनने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी यदि हिन्दी का प्रश्न पत्र अनिवार्य कर दिया जाए तो यह भविष्य में अधिकारियों एवं आशुलिपिकों दोनों के लिए लाभकारी होगा ।

11.16 यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन परीक्षार्थियों ने विद्यालय के स्तर पर हिन्दी को एक विषय के रूप में न पढा हो और उसने अंग्रेजी आशुलिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उस आशुलिपिक के लिए न केवल उच्चाधिकारी द्वारा हिन्दी में दिया गया डिक्टेशन लेना कठिन होगा अपितु उसे हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने में भी कठिनाई होगी । यदि उस प्रशिक्षार्थी ने स्कूल के स्तर पर दसवीं कक्षा तक हिन्दी पढी हो और उसने आशुलिपि में अंग्रेजी का विकल्प भी लिया हो तो उसे हिन्दी

आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण देना सुलभ हो जाएगा और हिन्दी के काम में निरंतर वृध्दि संभव हो पाएगी ।

11.17 इसी क्रम में समिति ने संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का भी मौखिक साक्ष्य लिया । आयोग के मुख्य दायित्व अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा इत्यादि एवं अन्य समूह 'क' अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनके भर्ती नियमों का निर्धारण करना, विभागीय पदोन्नति संबंधी बैठकें कराना आदि हैं । मौखिक साक्ष्य के दौरान जो तथ्य समिति के समक्ष उदघाटित हुए उनमें समिति को प्रश्नावली के माध्यम से यह सूचित किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले एक वर्ष (2009-10) में कुल 14 लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया है जिनमें किसी भी परीक्षा में हिन्दी का प्रश्न पत्र अनिवार्य नहीं था । इनमें से 04 परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी था जबकि केवल तीन परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के प्रयोग का भी विकल्प दिया गया था । केवल अंग्रेजी का विकल्प देने का कारण आयोग द्वारा यह बताया गया कि ये तकनीकी विषय थे जैसे मैडिकल या अभियान्त्रिकी आदि ।

11.18 इस विषय पर समिति का मत था कि अंग्रेजी में परीक्षा कराने का अर्थ है कि आयोग ने हिन्दी में परीक्षा देने की क्षमता या योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को इससे वंचित कर दिया । इसके लिए यदि दोनों विकल्प खुले रखे जाते तो परीक्षार्थी की जिस भाषा में इच्छा होती वह परीक्षा दे सकता था । इसके साथ-साथ समिति ने यह भी पाया कि भर्ती और पदोन्नति के लिए जो साक्षात्कार हुए उनमें हिन्दी में साक्षात्कार देने का विकल्प तो आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया किन्तु जब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजे गए तो इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि वे हिन्दी माध्यम से भी साक्षात्कार दे सकते हैं । समिति का सुझाव था कि किसी भी पद के लिए विज्ञापन देते समय और साक्षात्कार के लिए पत्र भेजते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचना दी जाए कि उन्हें परीक्षा या साक्षात्कार देने के लिए हिन्दी का विकल्प उपलब्ध है ।

11.19 इस संबंध में आयोग के सचिव ने समिति को सूचना दी कि जुलाई 2009 में प्रो0 आनन्द कृष्णा जी की अध्यक्षता में आयोग ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति गठित की है जो इस बात की समीक्षा करेगी कि आयोग द्वारा जितनी तकनीकी और गैर तकनीकी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं उनमें किस प्रकार या किस स्तर पर हिन्दी का प्रयोग आरम्भ किया जा सकता है । पुनः यह कहना आवश्यक होगा कि इन सभी सुविधाओं का तभी सफलतापूर्वक लाभ लिया जा सकता है जब उम्मीदवारों को एक निर्धारित स्तर तक हिन्दी का ज्ञान प्राप्त हो ।

11.20 अत: आवश्यकता है कि हिन्दी के ज्ञान का न्यूनतम स्तर सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य किया जाए । इसके लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से हिन्दी एक न्यूनतम स्तर तक अवश्य पढाई जाए ताकि आगे चलकर जब वे विद्यार्थी सरकारी सेवा में आएं तो उन्हें कोई कठिनाई न हो और संघ की राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए समिति की यह संस्तुति आवश्यक है ।

11.21 चूँकि राजभाषा संकल्प में कहा गया है कि "संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत: होगा" अत: राजभाषा संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह समिति पुनः संस्तुति करती है कि इस आशय का एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए कि शिक्षा में स्कूलों में दसवीं कक्षा के स्तर तक हिन्दी के शिक्षण को अनिवार्य बनाया जाए। इससे न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहयोग प्राप्त होगा अपितु सरकार द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण पर किए जाने वाले श्रम व धन की भी बचत होगी ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति निम्नलिखित संस्तुतियां करती हैं :-

1. सभी शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए ।
2. केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों को हिन्दी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए ।
3. सरकारी नौकरियों के लिए हिन्दी ज्ञान का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए ।
4. स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी शिक्षण के अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए ।

******